Anti-Indian Propaganda by Pakistan

*1142. { **Shrimati Maimoona Sultan:**
Shri Koya:
Shri Veerappa: }

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it has come to Government's notice that Pakistan in carrying out an intensive anti-Indian propaganda in Afro-Asian countries with the help of Chinese diplomatic missions; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) and (b). Government is fully aware of the growing intimacy between Pakistan and China and that they are collaborating in doing anti-Indian propaganda. We make every effort to neutralise anti-Indian propaganda, from whatever source. Our Missions abroad are vigilant and take steps to rebut false and adverse publicity against India.

शेख अब्दुल्ला से पत्र

*1143 { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री किशन पटनायक :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री लहरी सिंह
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री बड़े :
श्री वाजी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री बजराज सिंह :
श्री ओंकार सिंह :
श्री प्र० प्र० सिंह :
श्री मु० ब० सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : }

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला तथा उस के साथियों ने अपने पारपत्र की अवधि तथा जार्डन और ईराक जाने की अनुमति के बारे में सरकार को कोई पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो पत्र में क्या क्या मुख्य बातें लिखी हैं और सरकार ने उस का क्या उत्तर दिया है;

(ग) क्या शेख ने सऊदी अरब में सम्वाददाताओं को अपने इस पत्र के बारे में बताते हुए काश्मीर के मामले में शक्ति प्रयोग करने की धमकी दी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां । जेद्दा-स्थित हमारे राजदूतावास को मौखिक अथवा लिखित रूप में कुछ संदेश प्राप्त हुए हैं ।

(ख) हमारे राजदूतावास ने उन्हें जो नोटिस दिये थे, उन के सम्मिलित उत्तर में शेख अब्दुल्ला और उन के साथियों ने अचरज प्रकट किया, जबर्दस्त गलतफहमी होने की बात कही, विभिन्न पवित्र स्थानों के धार्मिक महत्व पर बल दिया और सरकार के आदेशों पर फिर से विचार करने की प्रार्थना की विशेषकर, मदीना जाने के लिए ।

शेख अब्दुल्ला और उन के साथियों के पासपोर्ट 1 मई, 1965 से रद्द हो चुके हैं । परन्तु, जेद्दा में राजदूतावास को यह निर्देश दे दिया गया है कि उन्हें आपाती प्रमाण-पत्र (एमरजेंसी सर्टीफिकेट) दे दिए जाएं ताकि वे धार्मिक उद्देश्य से हज के सिलसिले में मदीना जा सकें ।